

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2022 में ऑनलाइन आवेदन एवं अनुदान प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

नियम एवं उप नियम संख्या	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
नियम-9 (1) ऑनलाइन आवेदन एवं अनुदान प्रक्रिया	"पालनहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी।"	"पालनहार पोर्टल पर ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी। उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वयं की एसएसओ आईडी अथवा पालनहार मोबाईल एप के माध्यम से नि:शुल्क ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा"

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

(राजेश वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक : एफ. 15 (3) (1) सा.सु./पालनहार/2023/ 56500-68 जयपुर, दिनांक: 06/10/2023  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि., शासन सचिवालय, राज.।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/गृह/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/श्रम एवं नियोजन विभाग/कौशल विकास विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, राज.।
- निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- उप शासन सचिव, वित्त वित्त व्यय-2, शासन सचिवालय, राज.।
- संभागीय आयुक्त, (समस्त) .....
- जिला कलेक्टर, (समस्त) .....
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करवाने एवं आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, (समस्त) .....
- ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, (समस्त) .....
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Verma  
Designation: Director

Date: 2023.10.04 15:44:57 IST

Reason: Approved

V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystem\DMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\4805039\_6113898905760263770.docx

